

शहरी विकास विभाग
9वें तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली-110002

4/1

अतारांकित प्रश्न संख्या :-

71

दिनांक :-

09/08/2017

प्रश्नकर्ता का नाम :-

श्री आदर्श शास्त्री

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि एन.जी.टी. के आदेश के बावजूद द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डाबड़ी-पालम रोड पर स्थित नसीरपुर नाले पर भारी अतिक्रमण है;	उत्तर:-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम डाबड़ी से सागर नाले पर जो रोड़ बनी है उस पर सामान्य शाखा, नजफगढ़ क्षेत्र द्वारा लोकल पुलिस की सहायता से समय-समय पर अनाधिकृत अस्थाई अतिक्रमण हटाया जाता है। दिनांक 28.11.2016, 29.11.2016, 09.12.2016, 19.12.2016, 05.04.2017, 06.04.2017, 10.4.2017, 31.05.2017, 16.06.2017, 03.07.2017, 07.07.2017 तथा 03.08.2017 को विभाग द्वारा डाबड़ी से सागरपुर नाला रोड पर अस्थाई अतिक्रमण हटाया गया जिसके बाद दिल्ली पुलिस को निगरानी पत्र (Keep Vigil Letter) भी लिखा गया था ताकि उस क्षेत्र में फिर से अतिक्रमण न हो सके। दिनांक 24.12.2016 से दिनांक 26.07.2017 तक डाबड़ी से सागरपुर नाले रोड से कुल 69 (Dumped) गाडियां उठाई गई हैं।
(ख) क्या इस अतिक्रमण के हटाने हेतु दिल्ली सरकार की कोई कार्य योजना है ; और	
(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?	

Minister
Urban Development
Government of NCT of Delhi